

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100789

दिनांक: 06/07/2026

लोक सूचना

श्री PREM KUMAR CHUGH पुत्र श्री DEWAN CHAND CHUGH जाति CHUGH निवासी 196, NEW A-729, SIDDHARATH NAGAR, NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAGATPURA ROAD, JAIPUR

श्री RAGHAV CHUGH पुत्र श्री PREM KUMAR CHUGH जाति CHUGH निवासी 196, NEW A-729, SIDDHARATH NAGAR, NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAGATPURA ROAD, JAIPUR

श्री J K ARORARA पुत्र श्री R L ARORA जाति ARORA निवासी A-504, ANUKAMPA APPARTMENT, TRIMURTI MARG, MODEL TOWN, MALVIYA NAGAR, JAIPUR

श्री HARI RAM MEENA पुत्र श्री RAM KUNWAR MEENA जाति MEENA निवासी BADI KOTHI, BORDA, PO BORDA, DISTT. SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	2.) हरिराम मीना पुत्र राम कुंवार मीना हिस्सा 2 / 5 जाति मीना निवासी बड़ी खोटी बोरदा सवाई माधोपुर राजस्थान खातेदार 1.) प्रेम कुमार चुघ पुत्र दीवान चन्द चुघ हिस्सा 3 / 5 जाति अरोड़ा महाजन नि प्लाट न 196 नया ए 729 सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल के पास जयपुर जगतपुरा जयपुर खातेदार	2750	0.59	0.59
2.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) जे.के. अरोड़ा पुत्र आर.एल.अरोड़ा हिस्सा पूर्ण जाति पंजाबी निवासी प्लाट नंबर ए 504 अनुकम्पा अपार्टमेंट त्रिमूर्ति मार्ग मॉडल टाउन मालवीय	2751	0.17	0.17

		नगर जयपुर खातेदार			
3.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) जे.के. अरोडा पुत्र आर.एल.अरोडा हिस्सा पूर्ण जाति पंजाबी निवासी प्लॉट नंबर ए 504 अनुकम्पा अपार्टमेंट त्रिमूर्ति मार्ग मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर खातेदार	3283	0.21	0.21
4.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	2.) राघव चुघ पुत्र प्रेम कुमार चुघ हिस्सा 1 / 2 जाति पंजाबी नि 196 नया ए 729 सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल जयपुर के पास जगतपुरा मार्ग जयपुर खातेदार 1.) प्रेम कुमार चुघ पुत्र दीवान चंद चुघ हिस्सा 1 / 2 जाति पंजाबी नि ए 729 सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल के पास जगतपुरा जयपुर खातेदार	2752/3640	0.09	0.09
कुल					1.06

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & DAINIK NAVAJYOTI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

